



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 5933/2025

माहिर हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : इशितयाक खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., ज़फीर अहमद

न्यायालय संख्या- 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इशितयाक खान, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ज़फीर अहमद को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह अर्जी बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत दायर की गई है। इसका मकसद मुरादाबाद की विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय नंबर 2 द्वारा 07.05.2019 को जारी सम्मन आदेश और शिकायत मुकदमा संख्या 5597/2018 (रेयाज़ुल जहाँ बनाम माहिर हुसैन) की पूरी कार्यवाही को रद्द करना है। यह केस आईपीसी की धाराओं 323, 324, 354, 354-B, 452 के तहत मुंडा पांडे पुलिस स्टेशन, जिला मुरादाबाद में दर्ज था और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 2, मुरादाबाद की अदालत में लंबित था। इसे 22.02.2023 के लिखित समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की गई है।

3. इस न्यायालय के सामने मौजूद पक्षों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं, और अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि पक्षों के बीच हुआ समझौता इस मामले के शिकायतकर्ता पर बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के किया गया है और यह पक्षों की अपनी मर्जी और सहमति का नतीजा है।

5. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ऊपर बताई गई दलीलों का विरोध नहीं कर सके और कहा कि अगर आवेदक के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ ने 17.06.2025 के आदेश द्वारा विद्वान निचली अदालत को दोनों पक्षों की उपस्थिति में समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया था, और इस न्यायालय द्वारा 17.06.2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में, विद्वान निचली अदालत ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट 05.08.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

7. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच हुआ समझौता शिकायतकर्ता-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है, जिस पर कोई दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. इसे देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि चूँकि पक्षों के बीच समझौता हो गया है जिसकी पुष्टि निचली अदालत द्वारा पहले ही की जा चुकी है, इसलिए अब इस मामले को आगे जारी रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

9. पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर केस रद्द करने से जुड़ा कानून पूरी तरह से तय है। सुप्रीम कोर्ट ने (1) *B.S. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003) 4 एससीसी 675*; (2) *निखिल मर्चेंट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन: (2008) 9 एससीसी 677*; (3) *मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1*; (4) *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303*; (5) *सैफुल्ला और अन्य बनाम U.P. राज्य और अन्य: 2013 (83) एससीसी 278* और (6) *पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई उर्फ भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641* जैसे मामलों में यह माना है कि जिन मामलों में पार्टियों ने अपनी शिकायतों का निपटारा कर लिया है, उन्हें रद्द किया जा सकता है।

10. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कानून स्पष्ट है। यह मामला इस न्यायालय के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मुरादाबाद के माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 2 द्वारा 07.05.2019 को जारी समनिंग ऑर्डर और शिकायत मुकदमा संख्या 5597/2018 (रियाजुल जहाँ बनाम माहिर हुसैन) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त है। यह मुकदमा आईपीसी की धाराओं 323, 324, 354, 354-B, 452 के तहत मुंडा पांडे पुलिस स्टेशन, जिला मुरादाबाद से संबंधित है और मुरादाबाद के माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 2 की अदालत में लंबित है। इसे 22.02.2023 के लिखित समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. इसलिए, यह अर्जी मंज़ूर की जाती है।

13. इसलिए, 22.02.2023 के लिखित समझौते के आधार पर, माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय न्यायालय संख्या 2, मुरादाबाद की अदालत में चल रहे शिकायत मुकदमा संख्या 5597/2018 (रियाजुल जहाँ बनाम माहिर हुसैन) - जिसमें आईपीसी की धारा 323, 324, 354, 354-B, 452 के तहत मुंडा पांडे पुलिस स्टेशन, ज़िला मुरादाबाद में मामला दर्ज था - से 07.05.2019 का समन आदेश और पूरी कार्यवाही को समझौते के तहत रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

19 मार्च 2026

आरएसके.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”